संख्या : 12/2026/1357/94-2-2026-2098162

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप निबन्धक (विवाह पंजीकरण अधिकारी), उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक : 08 अक्टूबर, 2026**

विषय : मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या-12251/2025, दीपक पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2026 के अनुपालन में बाल विवाह की रोकथाम हेतु विवाह पंजीकरण अधिकारियों द्वारा विवाह पंजीकरण के समय बरती जाने वाली सावधानी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या-12251/2025, दीपक पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2026 के प्रस्तर-17 में प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशित किया गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त विवाह पंजीकरण प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) निर्गत किये जायें। तत्क्रम में महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.10.2026 पत्रांक-5383/वि०पं०/शि०का०लख०/2026 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

1. जिस विवाह में विवाह सम्पन्न होने के दिनांक को वर ने 21 वर्ष अथवा वधू ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की थी, उसका पंजीकरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। आयु की गणना विवाह सम्पन्न होने के दिनांक को की जायेगी, न कि आवेदन अथवा पंजीकरण के दिनांक को। अतः आवेदन के समय पक्षकार के वयस्क हो जाने मात्र से ऐसा विवाह पंजीकरण योग्य नहीं हो जायेगा।

2. "आयु पूर्ण" से अभिप्राय पूर्ण वर्षों से है। उदाहरणार्थ, जन्मतिथि 15.03.2008 वाली वधू 15.03.2026 को 18 वर्ष पूर्ण करेगी।

3. यह प्रतिषेध नियमावली, 2017 के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाले सभी विवाहों पर, धर्म, परिवार की सहमति अथवा विवाह की तिथि से पंजीकरण की अवधि का विचार किये बिना, समान रूप से लागू होगा।

4. विवाह पंजीकरण अधिकारी वर एवं वधू दोनों की जन्मतिथि का सत्यापन स्वयं करेगा। यह दायित्व कार्यालय के अन्य कार्मिक को प्रत्यायोजित नहीं किया जायेगा। विवाह पंजीकरण अधिकारी आयु सत्यापन **प्रपत्र-1** के रूप में अनुरक्षित करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. जन्मतिथि हेतु निम्न अभिलेख मान्य होंगे :-

क्र० सं०	अभिलेख	सत्यापन का माध्यम
1	हाईस्कूल/10वीं का प्रमाण पत्र (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड)	मा०शि०प० उ०प्र० : results.upmsp.edu.in (वर्ष 2002 के बाद); सी०बी०एस०ई० : डिजिलॉकर/apisetu.gov.in; सी०आई० एस०सी०ई० : cisce.org; अन्य बोर्ड : बोर्ड पोर्टल।
2	रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र	सी०आर०एस० पोर्टल/विभागीय पोर्टल का ए०पी०आई० संयोजन
3	पासपोर्ट, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,	संबंधित विभागीय पोर्टल से ए०पी०आई० संयोजन
4	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र	केवल तब, जब क्रम-1 से 3 का कोई अभिलेख उपलब्ध न हो; मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से पुष्टि

6. आधार कार्ड केवल पहचान एवं पते का अभिलेख है; इसे जन्मतिथि/आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा। आयु के प्रमाण हेतु प्रस्तर-5 में उल्लिखित प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे।

7. यदि किसी शिक्षा बोर्ड का प्रमाणत्र के मिलान की व्यवस्था पोर्टल पर नहीं है अथवा पुराना रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र का डाटा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो उनके सत्यापन हेतु मूल अभिलेख प्राप्त कर उसका सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से कराया जाएगा।

8. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत मूल आयु प्रमाण पत्र केवल तभी मान्य होगा जब प्रस्तर-5 की सारणी के क्रम-1 से 3 का कोई अभिलेख उपलब्ध न हो। ऐसा प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करने के उपरांत सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से सत्यापित कराने के उपरान्त ही स्वीकार किया जायेगा। प्रमाण पत्र में आयु की सीमा (range) अंकित होने पर उसकी निम्नतम आयु को आधार माना जायेगा।

9. जहाँ विवाह के दिनांक को किसी पक्षकार ने विधिक आयु 01 वर्ष के भीतर पूर्ण की हो अथवा जन्मतिथि का अभिलेख आवेदन से छह माह के भीतर बना/संशोधित हुआ हो, वहाँ प्रकरण को संवेदनशील मानते हुए एक अतिरिक्त अभिलेख (यथासम्भव विद्यालयीय अभिलेख) अनिवार्य रूप से पुष्टि हेतु लिया जायेगा।

10. यदि अभिलेखों में अंकित आयु के बावजूद पक्षकार की शारीरिक अवस्था (physical appearance) से विवाह पंजीकरण अधिकारी को आयु के सम्बन्ध में अनिवार्य समाधान न हो पाए, तो प्रकरण "संवेदनशील" माना जायेगा। ऐसे प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख का मूल अभिलेख /पोर्टल से पुनः सत्यापन किया जायेगा तथा प्रस्तर-9 के अनुसार अतिरिक्त अभिलेख (यथा सम्भव विद्यालयीय अभिलेख) लिया जायेगा। सन्देह के कारण एवं की गई कार्यवाही प्रपत्र-1 में अंकित की जायेगी। सन्देह का समाधान होने पर ही पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी, अन्यथा प्रस्तर-13(i) के अनुसार कारणयुक्त आदेश पारित किया जायेगा।

11. प्रस्तर-9 एवं 10 में उल्लिखित परिस्थितियों वाले आवेदन सॉफ्टवेयर में संवेदनशील के रूप में चिन्हित होंगे। इन प्रकरणों में सॉफ्टवेयर में विवाह पंजीकरण अधिकारी द्वारा कारण इंगित करते हुए संवेदनशील चिन्हित करने का विकल्प तथा प्रस्तर-9 व 10 की परिस्थितियों हेतु अतिरिक्त अभिलेख अपलोड करने की व्यवस्था होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12.विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग पर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.06.2025 में विहित दो पृष्ठांकनों के अतिरिक्त निम्नलिखित पृष्ठांकन भी किया जायेगा: "मेरे द्वारा वर एवं वधू की जन्मतिथि का सत्यापन ..... (अभिलेख का नाम) से ..... (पोर्टल/मूल अभिलेख) द्वारा किया गया। विवाह के दिनांक ..... को वर की आयु ..... वर्ष ..... माह..... दिन तथा वधू की आयु ..... वर्ष ..... माह .... दिन थी।"

13. विवाह पंजीकरण अधिकारी के समक्ष विवाह पंजीकरण आवेदन प्राप्त होने पर:-

(i) यदि सत्यापन से प्रकट हो कि विवाह की तिथि को कोई आवेदक बालक/बालिका थी, तो विवाह पंजीकरण अधिकारी पंजीकरण नहीं करेगा, आवेदन को अधिकतम 15 दिन के अंदर निरस्त करेगा तथा निरस्तीकरण के कारणों सहित संक्षित लिखित आदेश पारित कर सम्बन्धित को अवगत करायेगा तथा कोई प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करेगा।

(ii) उक्त आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित द्वारा उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के नियम-17(1) के अन्तर्गत अपील सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के समक्ष की जा सकेगी।

(iii) उसी कार्यदिवस में; अपरिहार्य परिस्थिति में अधिकतम 24 घण्टे के भीतर, **प्रपत्र-2** में जनपद के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं जिलाधिकारी को सूचना देगा तथा प्रति जनपद के सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को पृष्ठांकित करेगा। साथ ही जहाँ पक्षकार सत्यापन के दिनांक को बालक/बालिका हो अथवा अभिलेख में कूटरचना पाई गई हो, जनपद के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करेगा।

14.विवाह पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्रकरण की प्रविष्टि **प्रपत्र-3** में "बाल विवाह प्रकरण पंजिका" में की जाएगी।

15.विवाह पंजीकरण अधिकारी विवाह की वैधता/शून्यता पर कोई निर्णय या अभिमत नहीं देगा। बाल विवाह के विधिक परिणाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा-3 एवं 12 से शासित होंगे। इस शासनादेश का कोई निर्देश प्रत्येक बाल विवाह को प्रारम्भ से शून्य घोषित नहीं करता।

16.पूर्व में पंजीकृत कोई विवाह (न्यायालय, शिकायत, निरीक्षण अथवा किसी अन्य स्रोत से) बाल विवाह पाया जाता है, तो विवाह पंजीकरण अधिकारी उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के नियम-16 के अन्तर्गत पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए जाँच कर पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही करेगा तथा प्रस्तर-13(iii) के अनुसार सूचना देगा।

17.बालक/बालिका की पहचान से सम्बन्धित विवरण किसी सार्वजनिक सूचना, नोटिस बोर्ड अथवा प्रेस में प्रकट नहीं किया जायेगा।

18.पूर्व से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत विवाह पंजीकरण सॉफ्टवेयर में वर एवं वधू की जन्मतिथि तथा विवाह का दिनांक अनिवार्य प्रविष्टि होंगे और विवाह के दिनांक को आयु की स्वतः गणना होगी। आयु विधिक आयु से कम होने पर पंजीकरण अवरुद्ध रहेगा।

19.जन्मतिथि हेतु प्रयुक्त अभिलेख का सत्यापन विवाह पंजीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन पुष्टि होने के उपरांत ही सॉफ्टवेयर द्वारा प्रमाण पत्र जनित होगा, चाहे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण हो चुका हो।

20.प्रमाण पत्र पर दोनों पक्षकारों की जन्मतिथि एवं विवाह के दिनांक को आयु अंकित होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21. कार्यालयवार मासिक एम०आई०एस० में कुल पंजीकरण, संवेदनशील, सन्दर्भित एवं "नियम-16 के अन्तर्गत निरस्त" प्रकरणों की संख्या सहायक महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक कार्यालय स्तर पर रखी जायेगी।

22. संवेदनशील प्रकरणों में प्रपत्र-1 की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति के साथ अतिरिक्त अभिलेख की प्रति भी पत्रावली पर रखी जायेगी।

23. समस्त विवाह पंजीकरण अधिकारियों एवं सम्बन्धित कार्मिकों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तथा इस शासनादेश के सम्बन्ध में मण्डल स्तर पर उप महानिरीक्षक निबंधन द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए प्रशिक्षण दिया जायेगा।

निर्धारित सत्यापन किये बिना पंजीकरण को प्रथम दृष्टया पदीय दायित्व में विफलता माना जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। किसी भी स्रोत से बाल विवाह का पंजीकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित सहायक महानिरीक्षक निबन्धन 15 दिवस के भीतर जाँच कर उत्तरदायित्व निर्धारण सहित आख्या मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

इस सम्बन्ध में महानिरीक्षक निबंधन के परिपत्र संख्या-3375/तीन-ए/शि०का०लख०/2024, दिनांक 10.10.2024 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1933/तीन-ए/शि०का०लख०/2025 दिनांक 06.06.2025 के निर्देश यथावत् प्रभावी रहेंगे तथा यह शासनादेश उनके अतिरिक्त होगा। पूर्व निर्गत परिपत्र /कार्यालय ज्ञाप से किसी विरोध की दशा में यह शासनादेश के निर्देश अभिभावी (prevail) होंगे।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन प्रत्येक माह अपने जनपद के प्रत्येक उप निबन्धक कार्यालय में उस माह पंजीकृत विवाहों में से समस्त "संवेदनशील" प्रकरणों तथा शेष पंजीकृत विवाहों में से कम से कम 10 प्रतिशत (न्यूनतम 20) प्रकरणों का रैंडम (यादृच्छिक) चयन कर आयु सत्यापन अभिलेखों (प्रपत्र-1 एवं सत्यापन परिणाम) की जाँच करेंगे। जिस कार्यालय में माह में 20 से कम विवाह पंजीकृत हुए हों, वहाँ समस्त पंजीकृत विवाहों की जाँच की जायेगी। जाँच के परिणाम कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.06.2025 के प्रस्तर-7 में विहित पंजिका में अंकित किये जायेंगे। जाँच में पायी गयी कमियों सहित **प्रपत्र-4** में मासिक प्रतिवेदन तैयार कर सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक सम्बन्धित उप महानिरीक्षक निबन्धन को प्रेषित किया जायेगा।

उप महानिरीक्षक निबन्धन त्रैमासिक रूप से मण्डल स्तर पर समीक्षा करेंगे तथा असामान्य रूप से अधिक संख्या में विवाह पंजीकृत करने वाले अथवा अन्य जनपदों के निवासियों के विवाह पंजीकृत करने वाले कार्यालयों का विशेष निरीक्षण करेंगे।

उपर्युक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। ये निर्देश बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 में संशोधन अथवा नवीन नियमावली प्रवृत्त होने तक प्रभावी रहेंगे।

महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त निर्देशों का समस्त विवाह पंजीकरण अधिकारियों से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। सॉफ्टवेयर सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) के माध्यम से क्रियाशील कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक त्रैमास में इन निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर समेकित आख्या शासन को प्रेषित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षित है कि जनपदीय बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को विवाह पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें। निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को इन निर्देशों से अवगत कराया जाय। समस्त उप निबन्धक (विवाह पंजीकरण अधिकारी) उपर्युक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-

1. मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का आदेश दिनांक 02.09.2026 (क्रिमिनल अपील संख्या-12251/2025) की प्रति।
2. प्रपत्र-1 (आयु सत्यापन टिप्पणी), प्रपत्र-2 (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को सूचना), प्रपत्र-3 (बाल विवाह प्रकरण पंजिका) एवं प्रपत्र-4 (मासिक प्रतिवेदन)।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 12/2026/1357(1)/94-2-2026-2098162 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 (विशेषतः नियम-7 एवं नियम-10(2)(क)) में आयु सत्यापन को अनिवार्य करने हेतु आवश्यक संशोधन पर विचार करने का कष्ट करें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
4. उपनिदेशक/राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन०आई०सी०) योजना भवन लखनऊ।
5. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
6. संयुक्त निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, लखनऊ को सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन हेतु।
7. शासकीय अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को क्रिमिनल अपील संख्या-12251/2025 में सूचनार्थ।
8. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-1: आयु सत्यापन

आयु सत्यापन टिप्पणी (प्रत्येक आवेदन हेतु)

आवेदन संख्या: ..... कार्यालय: उप निबन्धक ..... विवाह का दिनांक: .....

विवरण	वर	वधू
नाम एवं पिता का नाम		
अभिलेख के अनुसार जन्मतिथि		
जन्मतिथि हेतु प्रयुक्त अभिलेख		
अभिलेख संख्या/रोल नम्बर/पंजीकरण संख्या		
सत्यापन का माध्यम (पोर्टल का नाम/ जारीकर्ता कार्यालय से सत्यापन)		
सत्यापन का दिनांक एवं समय		
विवाह के दिनांक को आयु (वर्ष-माह-दिन) एवं स्थान		
संवेदनशील प्रकरण ? हाँ होने पर अतिरिक्त अभिलेख (संवेदनशील चिन्हांकन का आधार-प्रस्तर-9 के अनुसार)		
निष्कर्ष: पंजीकरण योग्य/बाल विवाह — सन्दर्भित		

हस्ताक्षर: ..... — नाम: ..... पद: उप निबन्धक (नियमित / प्रभारी) दिनांक: .....

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गोपनीय

प्रपत्र-2: बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को सूचना

सेवा में,

जिलाधिकारी, ...
बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी,
जनपद ..... /

विषय : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सूचना।

अवगत कराना है कि इस कार्यालय में दिनांक ..... को प्राप्त विवाह पंजीकरण आवेदन संख्या ..... में प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन से प्रकट हुआ है कि विवाह के दिनांक ..... (स्थान .....) को वर/वधू की आयु ..... वर्ष ..... माह.....दिन थी, जो अधिनियम की धारा 2(क) में विहित आयु से कम है। पक्षकार की वर्तमान आयु ..... वर्ष है। उक्त आवेदन पर पंजीकरण नहीं किया गया है। पक्षकारों का विवरण एवं सत्यापन अभिलेख (प्रपत्र-1) संलग्न है। कृपया विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि: सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, जनपद .....

विवाह पंजीकरण अधिकारी/
उप निबन्धक .....

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-3 : बाल विवाह प्रकरण पंजिका (प्रत्येक उप निबन्धक कार्यालय में)

क्र० स०	आवेदन संख्या एवं दिनांक	विवाह का दिनांक	पक्षकार (वर/ वधू) जिसकी आयु कम थी	विवाह के दिनांक को आयु	आधार अभिलेख	आदेश का दिनांक	बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी/ जिलाधिकारी को सूचना का दिनांक	कूटरचना पाये जाने पर एफ०आई०आर० विवरण	अभ्युक्ति

प्रपत्र-4: मासिक प्रतिवेदन (सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा)

जनपद: ..... माह: 2026

कार्यालय	कुल पंजीकृत विवाह	परीक्षण किये गये पंजीकरण	सत्यापन अभिलेख अपूर्ण पाये गये	संवेदनशील प्रकरण	बाल विवाह — सन्दर्भित प्रकरण	नियम-16 के अन्तर्गत निरस्त	कूटरचना पर एफ०आई० आर०	उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु प्रस्तावित प्रकरण

हस्ताक्षर

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,

.....

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।